भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2486

05 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

गरीबी उन्मूलन के लिए वित्तपोषण

2486. श्रीमती चिंता अनुराधा :

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गत दो वर्षों के दौरान विशेष रूप से पिछड़े और गरीब लोगों के गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों की उपलब्धियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और असुरक्षा को कम करने के उद्देश्य से, वर्ष 2014 से देश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्णय लिए जाने वाले सांविधिक कस्बों में उनकी आवश्यकता और स्थानीय क्षमता के आधार पर एक केंद्र प्रायोजित स्कीम अर्थात् "दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान, मिशन के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1087.62 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। मिशन के अंतर्गत इस अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार राज्यवार विवरण दर्शाने वाला ब्यौरा अनुलग्नक-I पर दिया गया है।

(ख) : वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-II पर दिया गया है।

***

अनुलग्नक-I

दिनांक 05.03.2020 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 2486 के भाग (क) में यथा उल्लिखित डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत वर्ष 2018-19 और 2019-20 (फरवरी, 2020 तक) के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(करोड़ रू. में)

क्र. सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20 (28.02.2020 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	30.20	98.45
2	अरूणाचल प्रदेश	3.66	6.59
3	असम	0.00	14.86
4	बिहार	42.52	31.08
5	छत्तीसगढ़	21.15	0.00
6	गोवा	4.85	3.40
7	गुजरात	30.94	6.00
8	हरियाणा	0.00	29.63
9	हिमाचल प्रदेश	1.69	6.81
10	जम्मू और कश्मीर	3.23	11.56
11	झारखंड	11.24	16.28
12	कर्नाटक	0.00	16.46
13	केरल	18.60	24.09
14	मध्य प्रदेश	21.60	48.80
15	महाराष्ट्र	0.00	0.00
16	मणिपुर	0.00	3.65
17	मेघालय	0.00	0.00
18	मिज़ोरम	6.82	5.82
19	नागालैंड	3.43	3.42
20	ओडिशा	16.24	14.32
21	पंजाब	0.00	0.00
22	राजस्थान	31.10	38.11
23	सिक्किम	1.12	2.44
24	तमिलनाडु	68.53	81.36
25	तेलंगाना	15.56	42.13
26	त्रिपुरा	6.33	7.88
27	उत्तर प्रदेश	53.38	98.56
28	उत्तराखंड	7.75	7.32
29	पश्चिम बंगाल	35.94	25.79
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00
31	चंडीगढ़	1.82	0.00
32	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00
33	दमन और दीव	0.17	0.00
34	दिल्ली	0.00	0.00
35	पुडुचेरी	1.97	2.97
	कुल	**439.84**	**647.78**

टिप्पणी: जीएफआर नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है। धन के उपयोग और पिछले वर्षों में शेष धनराशि को ध्यान में रखा जाता है।

<u>अनुलग्नक-II</u>

दिनांक 05.03.2020 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 2486 के भाग (ख) में यथा उल्लिखित डीएवाई-एनयूएलएम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वर्ष 2018-19 और 2019-20 (फरवरी, 2020 तक) के दौरान लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

निर्मित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या				
क्र. सं0.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2018-19**	**2019-20**	**संचयी**
1	आंध्र प्रदेश	6988	13496	20484
2	अरूणाचल प्रदेश	64	23	87
3	असम	2199	1766	3965
4	बिहार	5176	3910	9086
5	छत्तीसगढ़	3684	3233	6917
6	गोवा	74	14	88
7	गुजरात	5148	5152	10300
8	हरियाणा	1768	562	2330
9	हिमाचल प्रदेश	476	301	777
10	जम्मू और कश्मीर	168	18	186
11	झारखंड	2810	1854	4664
12	कर्नाटक	1860	859	2719
13	केरल	3868	1388	5256
14	मध्य प्रदेश	5700	2294	7994
15	महाराष्ट्र	17736	11786	29522
16	मणिपुर	416	260	676
17	मेघालय	30	12	42
18	मिज़ोरम	79	67	146
19	नागालैंड	26	11	37
20	ओडिशा	3053	1369	4422
21	पंजाब	1209	784	1993
22	राजस्थान	4871	1292	6163
23	सिक्किम	14	8	22
24	तमिलनाडु	10830	11114	21944
25	तेलंगाना	2993	2093	5086
26	त्रिपुरा	364	279	643
27	उत्तर प्रदेश	4100	3609	7709
28	उत्तराखंड	197	237	434
29	पश्चिम बंगाल	5468	4408	9876
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	19	21
31	चंडीगढ़	24	53	77
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0
34	दिल्ली	12	7	19
35	पुडुचेरी	45	46	91
	कुल	**91452**	**72324**	**163776**

एसएचजी की संख्या जिन्हें परिक्रामी निधि दी गई है				
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	संचयी
1	आंध्र प्रदेश	2783	6214	8997
2	अरूणाचल प्रदेश	91	23	114
3	असम	2002	2538	4540
4	बिहार	2655	2625	5280
5	छत्तीसगढ़	3363	2164	5527
6	गोवा	198	100	298
7	गुजरात	5227	3828	9055
8	हरियाणा	854	569	1423
9	हिमाचल प्रदेश	237	38	275
10	जम्मू और कश्मीर	73	118	191
11	झारखंड	2445	1743	4188
12	कर्नाटक	432	735	1167
13	केरल	6409	123	6532
14	मध्य प्रदेश	5105	1515	6620
15	महाराष्ट्र	15673	12135	27808
16	मणिपुर	14	53	67
17	मेघालय	27	36	63
18	मिज़ोरम	42	97	139
19	नागालैंड	0	8	8
20	ओडिशा	2301	1198	3499
21	पंजाब	219	307	526
22	राजस्थान	4485	821	5306
23	सिक्किम	18	11	29
24	तमिलनाडु	8929	10099	19028
25	तेलंगाना	590	79	669
26	त्रिपुरा	272	319	591
27	उत्तर प्रदेश	3319	4433	7752
28	उत्तराखंड	103	175	278
29	पश्चिम बंगाल	9919	5001	14920
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11	3	14
31	चंडीगढ़	14	19	33
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0
34	दिल्ली	0	0	0
35	पुडुचेरी	66	28	94
	कुल	**77876**	**57155**	**135031**

नियोजित कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या				
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	संचयी
1	आंध्र प्रदेश	54610	6	54616
2	अरूणाचल प्रदेश	622	1	623
3	असम	452	900	1352
4	बिहार	826	860	1686
5	छत्तीसगढ़	5182	1100	6282
6	गोवा	1255	75	1330
7	गुजरात	13213	3030	16243
8	हरियाणा	2945	336	3281
9	हिमाचल प्रदेश	417	121	538
10	जम्मू और कश्मीर	115	84	199
11	झारखंड	6859	1108	7967
12	कर्नाटक	0	0	0
13	केरल	4509	1710	6219
14	मध्य प्रदेश	32501	3397	35898
15	महाराष्ट्र	29227	29696	58923
16	मणिपुर	109	98	207
17	मेघालय	210	0	210
18	मिज़ोरम	1433	589	2022
19	नागालैंड	0	0	0
20	ओडिशा	0	0	0
21	पंजाब	1473	1725	3198
22	राजस्थान	2725	1291	4016
23	सिक्किम	248	0	248
24	तमिलनाडु	2963	298	3261
25	तेलंगाना	5070	1108	6178
26	त्रिपुरा	228	6	234
27	उत्तर प्रदेश	738	474	1212
28	उत्तराखंड	1076	77	1153
29	पश्चिम बंगाल	8954	3632	12586
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
31	चंडीगढ़	262	108	370
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0
34	दिल्ली	21	0	21
35	पुडुचेरी	0	0	0
	कुल	**178243**	**51830**	**230073**

व्यक्तिगत/सामूहिक सूक्ष्म उद्योगों को स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या				
क्र. सं०.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2018-19**	**2019-20**	**संचयी**
1	आंध्र प्रदेश	21260	11151	32411
2	अरूणाचल प्रदेश	17	5	22
3	असम	571	200	771
4	बिहार	2069	1068	3137
5	छत्तीसगढ़	6055	3127	9182
6	गोवा	25	15	40
7	गुजरात	3366	2990	6356
8	हरियाणा	910	295	1205
9	हिमाचल प्रदेश	526	198	724
10	जम्मू और कश्मीर	1462	107	1569
11	झारखंड	1130	1007	2137
12	कर्नाटक	1590	636	2226
13	केरल	2006	1015	3021
14	मध्य प्रदेश	15001	3015	18016
15	महाराष्ट्र	9589	4181	13770
16	मणिपुर	0	0	0
17	मेघालय	15	16	31
18	मिज़ोरम	150	218	368
19	नागालैंड	51	83	134
20	ओडिशा	4808	2963	7771
21	पंजाब	1775	849	2624
22	राजस्थान	5213	664	5877
23	सिक्किम	18	0	18
24	तमिलनाडु	45366	31772	77138
25	तेलंगाना	1945	1446	3391
26	त्रिपुरा	77	24	101
27	उत्तर प्रदेश	9918	7679	17597
28	उत्तराखंड	909	531	1440
29	पश्चिम बंगाल	1024	672	1696
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
31	चंडीगढ़	3	3	6
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0
34	दिल्ली	0	0	0
35	पुडुचेरी	14	1	15
	कुल	**136863**	**75931**	**212794**

एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत एसएचजी को दिए गए ऋण की संख्या				
क्र. सं०.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2018-19**	**2019-20**	**संचयी**
1	आंध्र प्रदेश	48369	119390	167759
2	अरूणाचल प्रदेश	2	0	2
3	असम	475	315	790
4	बिहार	216	552	768
5	छत्तीसगढ़	1834	1487	3321
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	1907	2152	4059
8	हरियाणा	94	44	138
9	हिमाचल प्रदेश	140	86	226
10	जम्मू और कश्मीर	1	1	2
11	झारखंड	274	313	587
12	कर्नाटक	196	124	320
13	केरल	7046	3524	10570
14	मध्य प्रदेश	2967	1442	4409
15	महाराष्ट्र	8236	7746	15982
16	मणिपुर	17	1	18
17	मेघालय	1	0	1
18	मिज़ोरम	23	24	47
19	नागालैंड	0	0	0
20	ओडिशा	2414	1945	4359
21	पंजाब	1	0	1
22	राजस्थान	784	316	1100
23	सिक्किम	0	0	0
24	तमिलनाडु	9416	8252	17668
25	तेलंगाना	22165	13738	35903
26	त्रिपुरा	18	12	30
27	उत्तर प्रदेश	1224	1497	2721
28	उत्तराखंड	9	30	39
29	पश्चिम बंगाल	6968	6684	13652
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0
34	दिल्ली	0	0	0
35	पुडुचेरी	44	13	57
	कुल	**114841**	**169688**	**284529**

वर्ष 2014-15 से दिनांक 24.02.2020 (संचयी) तक डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय (एसयूएच) के तहत कार्यात्मक आश्रयों की संख्या और पथ विक्रेताओं को सहायता (एसयूएसवी) के तहत पथ विक्रेता सर्वेक्षण पूर्ण करने वाले शहरों की संख्या का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यात्मक आश्रयों की संख्या	पथ विक्रेता सर्वेक्षण पूर्ण करने वाले शहरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	79	110
2	अरूणाचल प्रदेश	0	31
3	असम	1	24
4	बिहार	61	58
5	छत्तीसगढ़	22	57
6	गोवा	0	13
7	गुजरात	48	167
8	हरियाणा	16	80
9	हिमाचल प्रदेश	6	54
10	जम्मू और कश्मीर	1	6
11	झारखंड	92	44
12	कर्नाटक	43	265
13	केरल	17	93
14	मध्य प्रदेश	132	80
15	महाराष्ट्र	76	23
16	मणिपुर	0	2
17	मेघालय	1	3
18	मिज़ोरम	65	6
19	नागालैंड	2	3
20	ओडिशा	31	112
21	पंजाब	22	165
22	राजस्थान	164	189
23	सिक्किम	1	7
24	तमिलनाडु	144	664
25	तेलंगाना	28	74
26	त्रिपुरा	1	20
27	उत्तर प्रदेश	88	48
28	उत्तराखंड	9	45
29	पश्चिम बंगाल	22	0
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
31	चंडीगढ़	1	1
32	दादरा और नगर हवेली	0	0
33	दमन और दीव	0	0
34	दिल्ली	193	0
35	पुडुचेरी	1	5
	कुल	**1367**	**2449**

*****